भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4359
29 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

घरेलू एफपीआई को बढ़ावा

4359. श्री रमेश बिधूडी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वैश्विक बाजारों की चुनौती को ध्यान में रखते हुए घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) : सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और केंद्र प्रायोजित योजना " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)" कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय निर्यातोन्मुखी सहित खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देना है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भी प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को अवसंरचना, गुणवत्ता, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन प्रदान करता है।

इसके अलावा, सरकार ने निर्यात में लगे निवेशकों सहित खाद्य प्रसंस्करण निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियामक और नीतिगत सुधार किए हैं। इन उपायों में उत्पाद से उत्पाद अनुमोदन व्यवस्था से एक घटक आधारित अनुमोदन प्रणाली में स्थानांतरण, कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) बनाना और एमओएफपीआई सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना करना; ऑनलाइन पोर्टल (संपदा) के माध्यम से मंत्रालय में प्रस्ताव अनुमोदन और अनुदान वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, आदि शामिल हैं।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दिनांक 31.03.2021 को 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए मंजूरी दी है। योजना दिशानिर्देश दिनांक 02.05.2021 को जारी किए गए थे और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.06.2021 थी। आज की तारीख तक 129 कंपनियां उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम के तहत शामिल हैं।

*****